KANNAUJ POLICE

दिनाँक: 25 मई 2025 प्रेस नोट इन्दरगढ

थाना इन्दरगढ़ पुलिस द्वारा "अपनी पत्नी की हत्या" करने वाले अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर भेजा जेल।

पुलिस अधीक्षक कन्नौज विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में , अपर पुलिस अधीक्षक कन्नौज अजय कुमार के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी तिर्वा डॉ प्रियंका बाजपेयी के पर्यवेक्षण मे थाना इन्दरगढ़ पुलिस द्वारा "हत्या" के मुकदमे मे वांछित चल रहे अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर भेजा जेल।

घटनाओं का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23/24.05.2025 की रात्रि थाना इन्दरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कचाटीपुर मे पत्नी के अवैध सम्बन्ध के शक मे रजनीकांत पुत्र गनी नागर निवासी ग्राम कचाटीपुर थाना इन्दरगढ़ जिला कन्नौज उम्र करीब 34 वर्ष ने अपने जीजा सुरेन्द्र पुत्र बांकेलाल निवासी ग्राम बाँकी थाना ठठिया जिला कन्नौज के साथ मिलकर अपनी पत्नी बबली उम्र करीब 32 वर्ष की ईंट व हसिया से प्रहार कर हत्या करने के सम्बन्ध में मृतिका के भाई अनिल कुमार पुत्र रामशरत निवासी ग्राम नगला विशू (जनौरा) थाना बेबर जिला मैनपुरी द्वारा दिनांक 25.05.2025 को थाना इन्दरगढ़ पर मु0अ0सं0 133/2025 धारा 103(1)/238 बीएनएस बनाम 1. रजनीकांत पुत्र गन्नी नागर निवासी ग्राम कचाटीपुर थाना इन्दरगढ़ जिला कन्नौज 2.सुरेन्द्र पुत्र बांकेलाल निवासी ग्राम बाँकी थाना ठठिया जिला कन्नौज के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया । विवेचना के क्रम मे आज दिनांक 25.05.2025 को अभियुक्त रजनीकांत पुत्र गन्नी नागर निवासी ग्राम कचाटीपुर थाना इन्दरगढ़ जिला कन्नौज उम्र करीब 34 वर्ष को ग्राम सरैया मे बडे तालाब के पास रोड के किनारे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. रजनीकांत पुत्र गनी नागर निवासी ग्राम कचाटीपुर थाना इन्दरगढ़ जिला कन्नौज उम्र करीब 34 वर्ष ।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरणः-

पूछताछ पर अभियुक्त रजनीकांत ने बताया कि मेरी शादी बबली पुत्री रामशरत निवासी जनौरा चौकी नवीगंज थाना बेवर जिला मैनपुरी से करीब 11 वर्ष पहले हुयी थी ।मेरे 03 बच्चे हैं। मुझे अपनी पत्नी बबली पर शक था कि किसी लड़के से बात करती है लेकिन मेरी पत्नी मना करती थी कि मै किसी से बात नही करती हूँ । मुझे यह बात बहुत नागवार गुजरती थी कि मेरी पत्नी मेरी बात नही मानती है और छिपकर किसी से बात करती है। यह बात मैने अपने जीजा सुरेन्द्र पुत्र बांकेलाल निवासी ग्राम बाँकी थाना ठठिया जिला कन्नौज को बतायी तो मेरे जीजा ने कहा कि किसी दिन दोनो मिलकर

तुम्हारी पत्नी बबली को ठिकाने लगा देगे। दिनांक 23/24.05.2025 को मेरे जीजा मेरे गांव कचाटीपुर मे एक शादी समारोह मे सम्मलित होने हेतु आये हुये थे। उसी रात हम दोनो ने मिलकर बबली को मारने की योजना बनायी। उस रात मेरे माता व पिता शादी मे गये थे मेरे घर पर कोई नही था। गेस्ट हाउस से मै व मेरी पत्नी बबली तथा मेरे जीजा सुरेन्द्र समय करीब 02.00 बजे रात मे घर आ गये थे मेरी पत्नी जमीन पर लेट गयी थी और हम लोग अलग-अलग खटिया पर लेट गये थे। पूर्व योजना के मुताबिक जैसे ही मेरी पत्नी को नींद आने लगी तो मैने व मेरे जीजा सुरेन्द्र ने मिलकर मेरी पत्नी बबली को दबोच लिया और घसीट कर खुली जगह पर बनी नाद के पास ले गये और मेरे जीजा ने मेरी पत्नी का गला अपने घुटने से दबा लिया और ईंट से चेहरे पर बार कर दिया जिससे मेरी पत्नी की आवाज बन्द हो गयी और मैने हसिया से पेट पर करीब 7-8 बार प्रहार किया था। जब हम लोगो को यकीन हो गया कि मेरी पत्नी बबली मर चुकी है तब हम लोगो ने भूसा की पल्ली मे रखकर पीछे के दरवाजे से निकाल कर प्राइमरी स्कूल की बनी बाउन्ड्री के बगल मे खाद के गढ्ढो मे लगी झाडियो मे शव को छिपाकर ऊपर से कूड़ा करकट डाल दिया था। सुबह होनी वाली थी लोगो का आवागमन शुरू हो गया था। इसलिये हमने शव को यही छिपा दिया था। मौका पाकर शव को कही बाहर फेकने की फिराक मे थे। मैं ईंट व हसिया को घर के कोने मे छिपाकर भाग गया था।

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. श्रीमती पारूल चौधरी थानाध्यक्ष इन्दरगढ़
2. का0 मनीष
3. का0 दिनेश सिंह
4. का0 पुष्पेन्द्र सिंह
5. का0 दिलीप कुमार
6. म0का0 प्रज्ञा थाना

इन्दरगढ़ जनपद कन्नौज।

थाना इन्दरगढ़
जनपद - कन्नौज
मेरा भारत देश महान